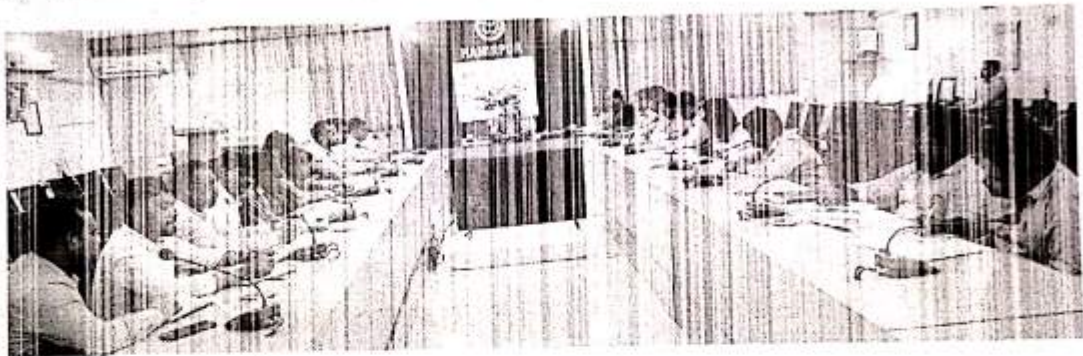


दिनांक 28.06.2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को अपराह्न 03:30 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें-

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
3. श्री अनिल आहूजा, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
4. श्री आर0के0राव, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, राठ।
5. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
6. श्री मानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
7. शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
8. श्री शंकु कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
9. धीरेन्द्र कुमार मौर्य, अपर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
10. श्री आशीष बाजपाई, सहायक अभियंता, इले0 एण्ड मैके0, SWSM, Hamirpur.
11. श्री नरैन सिंह गिल, डी0टी0एल0, सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0), हमीरपुर।
12. श्री आर.के.शुक्ला, सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0, हमीरपुर।
13. अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, डी.पी.एम., JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
14. श्री संगम नाथ पाण्डेय, मैनेजन, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
15. श्री राकेश पारिख, डी0पी0एम0, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
16. श्री प्रभांशु गुप्ता, सीनियर इंजीनियर, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
17. श्री अनिल कुमार शर्मा, एम0एम0, अनिल कुमार शर्मा।
18. श्री हिमांशु सिंह, अवस्थी कन्सट्रक्सन।
19. श्री अशोक कुमार, प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर, डी0पी0एम0 श्री हरि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स।
20. श्री धीरेन्द्र सिंह, बी0के0 कन्सट्रक्सन।
21. श्री रोहित गर्ग, ME,
22. श्री प्रिन्स सिंह, जय माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्सन।



पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत) योजना में 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना में 01 इन्टेकवेल, 01 डब्लू0टी0पी0, 10 सी0डब्लू0आर0, 46 अवर जलाशय 306.63 किमी0 राइजिंगमेन, 908.886 किमी0 वितरण प्रणाली तथा 47940 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इन्टेकवेल(45 एम0एल0डी0), डब्लू0टी0पी0(45एम0 एल0डी0), 10 सी0डब्लू0आर0, 10 पम्प हाउस, 46 अवर जलाशय तथा टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

वितरण प्रणाली एवं FHTC कनेक्शन :- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 0.306 किमी0 वितरण प्रणाली तथा 134 नग FHTC का कार्य अवशेष है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 36 ग्रामों में अभी शत-प्रतिशत नल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वितरण प्रणाली पाइप बिछाने तथा नल संयोजन किये जाने की प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, विगत कई माह से पाइप लाइन बिछाने तथा नल संयोजन किये जाने की प्रगति लगभग शून्य है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अवशेष 134 नल संयोजन लाभार्थियों की ग्रामवार सूची 03 दिवस के अन्दर अधि0 अभि0, जल नि0 (ग्रामीण) को उपलब्ध करायें तथा पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर 05 दिवस के अन्दर वितरण प्रणाली तथा FHTC का अवशेष कार्य पूर्ण कराकर अवगत करायें।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 131 ग्रामों में प्लशिंग व टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर 110 ग्रामों में निरंतर जलापूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा योजना से आछादित किसी भी ग्राम में शत प्रतिशत जलापूर्ति नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति पर खेद प्रकट किया गया, निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर अवशेष कार्य पूर्ण करायें तथा सभी ग्रामों में निरंतर रूप से रोस्टर के अनुसार पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। योजना से आछादित सभी ग्राम पंचायत केन्द्र/प्रा0/उ0प्रा0 विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति का समय/रोस्टर अंकित करा दिया जाय।

रोड रेस्टोरेशन:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 109 ग्रामों में रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण तथा 22 ग्रामों में शेष है। रोड़-रेस्टोरेशन कार्य की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया कि पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है। कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि जिन-जिन राजस्व ग्रामों में रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उसे पर्याप्त टीम लगाकर पूरा कराया जाय।

हर घर जल सर्टीफिकेट:- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 104 राजस्व ग्राम के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जा चुके हैं तथा 27 ग्रामों में शेष हैं। हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया गया कि उक्त से प्रतीत होता है कि गैप क्लोजिंग का कार्य पूर्ण न होने के कारण टेस्टिंग कार्य पूर्ण किये गये सभी ग्रामों में निरंतर जलापूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके कारण हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करने में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना के अनुसार पर्याप्त टीमें लगाकर रोड़-रेस्टोरेशन, एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर तथा निरंतर रूप से जलापूर्ति करते हुए हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें। फर्म को रेगुलर पेयजल की आपूर्ति सम्पूर्ण ग्राम में कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत शेष रोड़-रेस्टोरेशन, रेगुलर वाटर सप्लाई तथा नल संयोजन की जाँच कराकर 03 दिवस के अन्दर आख्या उपलब्ध करायें।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही एवं भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना के माध्यम से कुरारा के 28 ग्राम सम्मिलित है तथा 11 ग्रामों की वाटर डिमांड ली गयी है तथा हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पेयजल योजना के माध्यम से विकास खण्ड मुस्करा, सरौला, राठ एवं गोहाण्ड के 167 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

वितरण प्रणाली:—फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 30.20 किमी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण एवं 1.30 किमी० पाइप लाइन का कार्य शेष है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा अभी तक पाइप की आपूर्ति नहीं की गयी है, जिससे कार्य बाधित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब अवशेष पाइप लाइन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण करायें। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-04.07.2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

रोड़-रेस्टोरेशन:—अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 01 ग्राम में रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण तथा 02 ग्रामों में कार्य शेष है तथा आवश्यक 02 टीमों के सापेक्ष मात्र 01 टीम लगायी गयी है, ग्राम पौथिया बुजुर्ग में मानवश्रम के अभाव में कार्य बन्द है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड़-रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करायें। फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्राम पौथिया बुजुर्ग में दिनांक 04.07.2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

2-मै० श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०:-

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 01, 03, 04, 06 के अन्तर्गत कुल 45 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है।

पम्प हाउस:—फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सभी 23 नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 23 पम्प हाउस के 20 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण तथा 03 पर कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर पम्प हाउस कार्य 07 दिवस में पूर्ण करायें।

अवर जलाशय:—फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा 25 अवर जलाशयों को सापेक्ष 13 अवर जलाशयों के टाप डोम का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 12 पर कार्य शेष है। अवर जलाशयों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि सभी अवर जलाशयों पर निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाकर एक साथ तथा समान्तर रूप से कार्य करायें। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि 05 जुलाई तक 03, 12 जुलाई तक 04 तथा 19 जुलाई, 2024 तक अवशेष सभी अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

रोड़-रेस्टोरेशन:—अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा बताया गया कि 45 ग्रामों के सापेक्ष 28 ग्रामों में रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण तथा 17 ग्रामों में शेष है। रोड़-रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करे, जिससे ग्रामीणों को बारिस में अवागमन में असुविधा न हो। 03 दिवस के अन्दर कार्ययोजना बनाकर अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को उपलब्ध करायें। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि जुलाई, 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

3-मै० बी०के० कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी:-

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 08, 09 के अन्तर्गत कुल 26 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है।

नलकूप:—अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया 25 नलकूपों के सापेक्ष 22 नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 02 नलकूप पर कार्य शेष है। 25 पम्प हाउस के सापेक्ष 18 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, 04 पर कार्य प्रगति पर तथा 02 पम्प हाउस पर कार्य बन्द है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नलकूप तथा पम्प हाउस की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप नलकूप तथा पम्प हाउस का कार्य दिनांक-04.07.2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अवर जलाशय:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 07 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण तथा 01 पर कार्य प्रगति पर है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र पर्याप्त मानवश्रम लगाकर निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करायें। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-10.07.2024 तक अवशेष जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

रोड़-रेस्टोरेशन:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 04 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण तथा 17 ग्रामों में शेष है, फर्म द्वारा आवश्यक 17 टीमें के सापेक्ष मात्र 05 टीमें लगायी गयी है। रोड़-रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर हाइड्रोटेस्टिंग कराने के बाद रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण करायें।

4-मै0 नरेन्द्र कुमार गुप्ता, कंट्रोलर:- कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि बैठक में अनुपस्थित रहे, जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया गया तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया कि फर्म के क कार्यों का भुगतान अग्रिम आदेशों तक न किया जाय तथा कार्यदायी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5-मै0 अवस्थी ट्यूबवेल:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 5 के अन्तर्गत कुल 11 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है।

नलकूप:- सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 5 नलकूपों के सापेक्ष 4 नलकूप तथा 04 पम्प हाउस पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 01 नग नलकूप/पम्प हाउस पर मानवश्रम के आभाव में कार्य बन्द है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा नलकूप तथा पम्प हाउस की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, विगत कई सप्ताह से मानवशक्ति के आभाव में कार्य बन्द है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व मानकानुसार कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अवर जलाशय:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 05 अवर जलाशयों के सापेक्ष 02 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है। अवर जलाशय की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया। फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर सभी अवर जलाशयों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य कराना सुनिश्चित करायें। फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि 20.07.2024 तक अवशेष सभी अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

रोड़-रेस्टोरेशन:- अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 10 ग्रामों के सापेक्ष 09 ग्राम में रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

6-मै0 जय मों लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 10 व 11 के अन्तर्गत कुल 18 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है।

नलकूप:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 10 नलकूपों के सापेक्ष 09 नग नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 10 पम्प हाउस के सापेक्ष 05 पम्प हाउस पर कार्य पूर्ण, 05 पर कार्य शेष है, 01 नलकूप तथा 01 पम्प हाउस पर मानवश्रम के आभाव में कार्य बन्द है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पम्प हाउस कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकानुसार कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

अवर जलाशय:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 06 अवर जलाशयों के सापेक्ष 02 पर कार्य पूर्ण 03 पर कार्य प्रगति पर तथा 01 अवर जलाशय पर कार्य बन्द है। अवर जलाशय की

धीमे प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय अवगत करवा दिया गया तथा फर्म को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर सभी अवर जलाशयों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करना सुनिश्चित करें।

रोड-रेस्टोरेशन- अधिसूची अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 18 ग्रामों के सापेक्ष मात्र 4 ग्राम में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया है तथा आवश्यक 10 टीमें के सापेक्ष मात्र 05 टीमें लगायी गयी हैं। जिससे कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि सर्वांगत मानवशक्ति लगाकर रोड-रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करावें।

सभी कार्यवाही फर्म को निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु के आगमन के दृष्टिगत रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर दिनांक-15.07.2024 तक पूर्ण कर ली जाय, जिससे बरसात के समय असहज स्थिति उत्पन्न न हो। वस्तु के कारण किसी भी की घटना घटित होने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत संयोजन- अधिसूची अभियंता वि०/पॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत बताया गया कि हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत 06 विद्युत संयोजनों हेतु स्टीमेन्ट विद्युत विभाग से अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधिसूची अभियंता, वि०/वि०ख०, हमीरपुर द्वारा अवगत दिया गया कि दिनांक-04.06.2024 तक 06 विद्युत संयोजनों हेतु प्राक्कलन रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जायेगी।

अधिसूची अभियंता वि०/पॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा बताया गया कि विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर क्षेत्रान्तर्गत पुर्नगठन योजनाअन्तर्गत कुल 27 विद्युत संयोजन किये जाने हैं जिसके सापेक्ष 23 विद्युत संयोजनों हेतु प्राक्कलन धनराशि जमा कर दी गयी है, अभी तक किसी भी विद्युत संयोजन को ऊर्जाकृत नहीं किया गया है तथा 12 विद्युत संयोजन हेतु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अधिसूची अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक-04.06.2024 तक अवशेष सभी 12 घटकों पर विद्युत संयोजन हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। विद्युत संयोजन हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुरक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे कारण विद्युत संयोजनों को ऊर्जाकृत नहीं किया जा सका है।

अधिसूची अभियंता वि०/पॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत बताया गया कि वि०/वि०ख० राठ क्षेत्रान्तर्गत पुर्नगठन पेयजल के तहत विभिन्न घटकों पर कुल 45 विद्युत संयोजन के सापेक्ष 28 विद्युत संयोजनों हेतु प्राक्कलन धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। विद्युत वितरण खण्ड, राठ द्वारा मात्र 13 घटकों पर विद्युत संयोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। अधिसूची अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, राठ द्वारा बताया गया कि 01 विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 09 विद्युत संयोजन हेतु कार्य प्रगति पर है।

अधिसूची अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर/राठ को निर्देशित किया गया कि योजना के विभिन्न घटकों पर कार्ययोजना बनाकर विद्युत संयोजन की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करावें जिससे योजना में अनावश्यक विलम्ब न हो। समस्त कार्यवाही फर्म को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन तथा प्रमादी पैरवी करते हुए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से आवश्यक अनुरक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिसूची अभियंता वि०/पॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिसूची अभियंता वि०/पॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित कार्यवाही फर्म से सम्बन्ध कर विद्युत सुरक्षा निदेशालय से आवश्यक अनुरक्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कराया जाय तथा अनुरक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजना के सभी घटकों यथा नलकूप, पम्प हाउस, अवर जलाशय, पाइप लाइन, नल संयोजन आदि सभी घटकों पर पर्याप्त मानवशक्ति तथा मशीनरी लगाकर एक साथ समान्तर रूप से निर्धारित ब्रॉडिंग डिजिटेशन एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करावें। नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो रुक/सी.सी. रोड/गलियाँ छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुर्ननिर्माण का कार्य पाइप लाइन बिछाये जाने तथा डाइलैटेस्टिंग के पश्चात पूर्व की स्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो गया है। जिन ग्रामों में रुत-प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, नियमानुसार 'हर घर जल' ग्राम घोषित कराया जाय। ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का रोस्टर तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार कराया जाय। सहायक अभियंता/अधिसूची अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर टी०पी०आई० तथा पी०एम०सी० व्यक्तिगत रुबि लेते हुए कार्य

मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।


(सुरेश कुमार)
अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
01/07/24 हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

दिनांक 06 जुलाई, 2024

पत्र संख्या- 717 / न0गंगे-पे0यो0-स0बै0(2024-25)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा को इस आशय से कि पुर्नगठन योजनाओं के अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही कर अवगत करायें।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर/राठ।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।
9. अधिशासी अभियन्ता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
10. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0), हमीरपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0/जनरल मैनेजर, जे0डब्लू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्माँ को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)


अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
01/07/24 हमीरपुर।